

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ4(ई)अलेसे-III/104

दिनांक :- 31.01.2018

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को उनके आवेदन के अनुसरण में अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

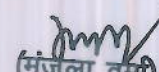
क. सं.	लिंक नं.	नाम क. लेखाकार (श्री/श्रीमती/सुश्री)	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	9946	सुनील कुमार	स्नातकोत्तर (पूर्वाध) 2017-18 (स्वयं पाठी)	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	कोषाधिकारी, हनुमानगढ़
2	1932	आशीष गर्ग	स्नातकोत्तर (प्रथम वर्ष) 2017-18 (स्वयं पाठी)	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, नोहर (हनुमानगढ़)
3	12882	ओम प्रकाश	स्नातकोत्तर (अंतिम वर्ष) 2017-18 (स्वयं पाठी)	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर
4	10570	अनिता कुमावत	स्नातकोत्तर (प्रथम वर्ष) 2017-18 (स्वयं पाठी)	राज. विश्वविद्यालय, जयपुर	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राज. सामु. स्वास्थ्य केन्द्र, रींगस (सीकर)
5	9870	अकित गोयल	स्नातकोत्तर (प्रथम वर्ष) 2017-18 (स्वयं पाठी)	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	अधिकांश अभियंता, जन.स्वा. अभि. विभाग, खण्ड तारानगर
6	9907	अजीत सिंह देवल	स्नातकोत्तर (प्रथम वर्ष) 2017-18 (स्वयं पाठी)	एम.डी.एस.यू. अजमेर	जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा
7	9961	विकास मिश्रा	नेट 2017	यू.जी.सी.	निदेशालय निरीक्षण, राजस्थान, जयपुर
8	9961	विकास मिश्रा	स्नातकोत्तर (अंतिम वर्ष) 2017-18 (स्वयं पाठी)	पं.दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर	निदेशालय निरीक्षण, राजस्थान, जयपुर
9	11328	सुनीता यादव	स्नातकोत्तर (प्रथम वर्ष) 2017-18 (स्वयं पाठी)	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वा. सेवार्थ, ई.एस.आई. योजना, जयपुर
10	12714	अजय सिंह शेखावत	स्नातकोत्तर (अंतिम वर्ष) 2017-18 (स्वयं पाठी)	राज. विश्वविद्यालय, जयपुर	अधि. अभियंता (मुख्यालय), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
11	10713	आजाद बाबू	स्नातकोत्तर (अंतिम वर्ष) 2017-18 (स्वयं पाठी)	राज. विश्वविद्यालय, जयपुर	अधिकांश अभियंता, जन.स्वा. अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त, चूरु
12	11742	बांकाराम	स्नातकोत्तर (प्रथम वर्ष) 2017-18 (स्वयं पाठी)	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	अधिकांश अभियंता, जन.स्वा. अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड, बाड़मेर
13	11094	अनिता	स्नातकोत्तर (प्रथम वर्ष) 2017-18 (स्वयं पाठी)	पं.दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर	जिला परिवहन (ग्रा.वि.प्र.), झुझुनू

27

14	मेरिट/बैच एसबीसी-21/20 13	अनुपमा	स्नातकोत्तर (प्रथम वर्ष) 2017-18 (स्वयं पाठी)	पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर	परियोजना प्रबंधक, एससी एसटी वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, झुंझुनू
15	मेरिट/बैच 2565/2013	शिव कुमार	स्नातकोत्तर (प्रथम वर्ष) 2017-18 (स्वयं पाठी)	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	सहा. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जैसलमेर
16	10453	श्यालाल गुर्जर	स्नातकोत्तर (अंतिम वर्ष) 2017-18 (स्वयं पाठी)	एम.डी.एस.यू., अजमेर	अधि. अभियंता, जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग, परि. खण्ड उनियारा
17	11439	सीमा वर्मा	स्नातकोत्तर (प्रथम वर्ष) 2017-18 (स्वयं पाठी)	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा
18	11404	विनोद कुमार	स्नातकोत्तर (अंतिम वर्ष) 2017-18 (स्वयं पाठी)	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	अधिशायी अभियंता, जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग, परि. खण्ड समदडी (बाड़मेर)
19	12284	टोना व्यास	स्नातकोत्तर (अंतिम वर्ष) 2017-18 (स्वयं पाठी)	राज. विश्वविद्यालय, जयपुर	उप निदेशक (प्रशासन), राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम, जयपुर
20	11759	भूपेन्द्र सारण	एम.सी.ए. (पत्राचार)	जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर	बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवायें, भोपालगढ़ (जोधपुर)
21	12875	आसुराम	स्नातकोत्तर (प्रथम वर्ष) 2017-18 (स्वयं पाठी)	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	कोषाधिकारी, जालोर

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्वधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित/ स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
- 3 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
- 4 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 5 उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 6 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और उस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 7 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 8 अध्ययन वर्ष में उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/ विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
- 9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 10 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ4(ई)अलेसे-III/104

दिनांक :- 31.01.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

4. संबंधित विभाग/ कार्यालय (तालिका के कॉलम 6 के अनुसार)।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)